प्रारम्भिक डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 78 / 2024 दायर दिनांकः– 16 / 05 / 2024

जीसीएमएस नं0:– 2024 / 156 निर्णय दिनांकः– 29 / 08 / 2025

बउनवान

1. महेश पुत्र श्री रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी तसई टीकरी तहसील कठूमर जिला अलवर।

––––– वादी

बनाम

1. केदार पुत्र नन्नू जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
2. मुरारी पुत्र राधे जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
3. शिवचरण पुत्र नन्नू जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
4. अवधेष पुत्र हरदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
5. चन्द्रशेखर पुत्र हरदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
6. हितेश पुत्र हरदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
7. विमलादेवीदेवी पत्नी हरदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
8. पूरन पुत्र होती जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
9. रामवती पत्नी नवलसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
10. रामवती पत्नी मानसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
11. शीला पत्नी पूरन जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
12. नीरज कुमार पत्नी दिनेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
13. चारू पुत्री दिनेश जाति जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
14. धनन्जय पुत्र दिनेश जाति ब्राहम्ण निवासी तसई तहसील कठूमर
15. उप पंजीयक महोदय कठूमर तहसील कठूमर
16. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर।

–– तर0 प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

दावा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–1.श्री राधवल्लभ शर्मा –अधिवक्ता वादी

–ःनिर्णयः–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 2185, 2901, 2585, 2900, 2591, 2914, 2905, 1591, 1315, 1317, 1343, 1548, 1289, 1326, 1326 1328 1329, 1329, 13329, 1335, 1336, वाके ग्रम तसई ए तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडे होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है। इस वजह से फसल कम पैदा होती है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी में वादी के हिस्से में कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है, एवं झगडा करते है। बिना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तकासमा कराने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 07.01.2025 प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवीह अमल में लाई गई। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 वाके ग्राम तसई ए सत्य प्रतिलिपी पेश की है,।

पत्रावली पर बहस वकील वादीयागण सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने प्रस्तुत वाद के तथ्यों को दोहराते हुये अपने वाद वादीगण को प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया जमाबन्दी में विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादी की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी को वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की होना व विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करना जाहिर किया है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी का वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की होना व कानूनी तकासमा नहीं होना अवट होने का अनुमान किया जाता है, एवं वादी के अधिवक्ता के निवेदन के आधार पर दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः वाद वादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है कि वो 2185, 2901, 2585, 2900, 2591, 2914, 2905, 1591, 1315, 1317, 1343, 1548, 1289, 1326, 1326 1328 1329, 1329, 13329, 1335, 1336, वाके ग्रम तसई एतहसील कठूमर पर मौके पर पहुॅच कर दोनो पक्षकारान की उपस्थिति में मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर नियत दिनांक से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें ताकि मुकदमा में अंतिम डिक्री पारित की जा सके। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कठूमर को जारी की जावे।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०